राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

1. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/169
2. राजस्व वाद संख्या– 53/2023
3. दायर दिनांक–11.09.2023
4. निर्णय दिनांक– 11.09.2025

उनवानी–

1. मोगा देवी पत्नि हनुमान
2. घमला पुत्री हनुमान
3. सुरेश कुमार पुत्र हनुमान
4. अमरी देवी पत्नि गणेश
5. रामावतार पुत्र गणेश
6. महेन्द्र पुत्र गणेश
7. नाथी देवी पुत्री लालू
8. रामेश्वरी देवी पत्नि लालू

सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम थल तह0 रूपनगढ़

....प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

....अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज0 अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थिति– 1. श्री गणेश प्रजापत वकील प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम थल पटवार थल भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र थल तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या नया 257 के ख0न0 259 रकबा 2.3784 है0, ख0न0 688/259 रकबा 0.1294 है0 जो प्रार्थी संख्या 1 के ससूर, प्रार्थी संख्या 2 व 3 के दादा, प्रार्थी संख्या 4 के ससूर, प्रार्थी संख्या 5 व 6 के दादा, प्रार्थी संख्या 7 व 8 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 9 के पति लालू पुत्र देवा के नाम पुराने राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार दर्ज है परन्तु सहवन से उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पूर्वज लालू पुत्र देवा के स्थान पर गलत नाम लादू पुत्र देवा का इन्द्राज हो गया है। वाद वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में एकीकरण जमाबन्दी 2020 व बन्दोबस्त जमाबन्दी संवत् 2010 से लेकर संवत 2051 में प्रार्थीगण के पूर्वज केलु, लालू पुत्र देवा दर्ज जिसमें केलू की विरासत उसके वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है लेकिन लालू पुत्र देवा का नाम संवत् 2055 की जमाबन्दी में लादू पुत्र देवा सहवन से राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सरकारी आदेश के इन्द्राज कर दिया गया है जो वर्तमान जमाबन्दी में लादू पुत्र देवा आज दिन तक बदस्तूर चला आ रहा है जो कि राजस्व रिकार्ड में त्रुटि के कारण प्रार्थीगण के पूर्व लालू पुत्र देवा के स्थान पर लादू पुत्र देवा दर्ज कर दिया गया है जिसके कारण प्रार्थीगण का आज दिन तक विरासत का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सका है जिसको दुरूस्त करवा कर प्रार्थीगण के पूर्वज का गलत नाम लादू पुत्र देवा के स्थान पर सही नाम लालू पुत्र देवा का इन्द्राज करवा कर इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के पूर्वज का सहवन से लिपिकिया त्रुटी के कारण लालू पुत्र देवा के स्थान पर लादु पुत्र देवा दर्ज कर दिया गया है इसके कारण इनकी विरासत प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि वाद वर्णित कृषि आराजी में लादू पुत्र देवा के स्थान पर लालू पुत्र देवा के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान करवायें।

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2025.12.09 15:48:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम थल के जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 10 की ख0न0 269 रकबा 16–16–00 बीघा पर लालू पि0 देवा हि0 1/8 कौम जाट स्था0देह खातेदार दर्ज है। पैरोकार सरकार ने वाद वर्णित आराजी में दुरूस्ती हेतु राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में पुराने राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया। तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब के कथन को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजों का अवलोकन व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 10 में ख0न0 267, 260, 207, 259, 217/2 में केलु, लालु पि0 देवा हि0 1/4 एकीकरण जमाबंदी के खाता संख्या 12 में ख0न0 120, 130, 131 पर केलु, लालू पि0 देवा हि0 1/4 व भू–प्रबंध की जमाबंदी के खाता संख्या 46 में पन्ना, धन्ना, केलु, लालू पि0 देवा हि0 1/4, जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 के खाता संख्या 30 में केलु, लालु पि0 देवा हि0 1/4, जमबांदी संवत् 2048 से 2051 के खाता संख्या 162 में लालू पुत्र देवा हि0 1/8, जमबांदी संवत् 2048 से 2051 के खाता संख्या 28 में केलु, लालु पि0 देवा हि0 1/4 जमाबंदी संवत् 2044 के खाता संख्या 25 में केलु, लालु पि0 देवा हि0 1/4 दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 के ससुर, प्रार्थी संख्या 2, 3, 5 व 6 के दादा तथा प्रार्थी संख्या 1 व 4 के ससुर, प्रार्थी संख्या 7 व 8 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 9 के पति है। उपरोक्त जमाबंदी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पूर्वज का नाम लालू, केलु होना सिद्ध होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम थल के खाता संख्या 257 ख0न0 259 रकबा 2.3784 है0 व ख0न0 688/259 रकबा 0.1294 है0 भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वज के दर्ज नाम लादू पुत्र देवा के स्थान लालू पुत्र देवा किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2025.12.09 15:48:39 IST
Reason: SelfAttested